तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की तामील में जारी हुए
18.12.17	पत्रावली पेश हुई। वकील P-I व P-II उपस्थित। वकील पार्टी सं०2 ने प्रार्थना पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, चूरू के न्यायालय में लम्बित है इसलिए इस न्यायालय में प्रकरण चलाने का कोई औचित्य नहीं है। चूंकि उक्त वाद में ही वाद के बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना है। अतः इस प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप फरमाई जावे। वकील पार्टी सं०1 उपस्थित जिन्होंने अपनी उक्त प्रार्थना के सम्बन्ध में सहमति जताई एवं निवेदन किया कि उक्त प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप फरमाया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। वकील उभयपक्षकारान P-I व P-II को सुना गया तथा वकील P-II के द्वारा पेश माननीय न्यायालयों के निर्णयों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह प्रतीत होता है वाद के बिन्दुओं का निर्णय उक्त न्यायालय में ही तय होना है। इस प्रकरण में पत्रावली पर आगे कार्यवाही चलाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। अतः पत्रावली पर कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड मजिस्ट्रेट चूरू (राज.)	(हस्ताक्षर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official